I/716/2023

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A11-79(1)/2016

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड — देहरादून दिनांक 22 अगस्त, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : 14265 दिनांक 23.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून को बी0एड0–स्पेशल एजुकेशन (Visual Impairment) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22 एवं 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4	5
01	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून।	बी0एड0–स्पेशल एजुकेशन (Visual Impairment)	30 सीट	2021–22
			33 सीट	2022–23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय संस्थान से Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में भी तथ्यों का उल्लेख किया जाए।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 22/08/2023 03:45 pm

I/716/2023

I/716/2023

Signed by Ravinath Raman
Date: 22-08-2023 13:15:31

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 716 /जी0एस0(शिक्षा)/A11-79(1)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by Nand Kishor Pokhriyal
Date: 22-08-2023 13:53:26 (एन0 के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।